केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/86 दिनांक: 11.05.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00085
CICOM/R/2016/00155

अपीलकर्ता : श्री त्रिभुवन पोद्दार,
ई/24 रानी गार्डन, शास्त्री नगर,
सोलंकी वाली गली, दिल्ली – 31.

निर्णय की तारीख : 10.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.01.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	11.02.2016, 09.05.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री वी. के. शर्मा, श्री योगेश कुमार सिंहल,
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	24.02.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	125919/24.02.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	90/25.02.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से 10 बिंदुओं पर सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी तथा श्री वी.के. शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता श्री त्रिभुवन पोद्दार एवं श्री वी.के.शर्मा, जन सूचना अधिकारी तथा श्री बाबू लाल, जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे । संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री योगेश कुमार सिंहल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.05.2016 को पत्र सं. CICOM/R/2016/00155 द्वारा बिंदु सं. 1, 2, 3, 4 व 5 के तहत सूचना प्रदान की गई है जिसमें से बिंदु सं. 1, 2 व 3 के तहत प्रदान की गई सूचना सही है तथा बिंदु सं. 4 व 5 के संदर्भ में संयुक्त सचिव (प्र0) व जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप में वांछित सूचना प्रदान की जाए । बिंदु सं. 6 एवं 7 के संदर्भ में श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी ने सूचित किया कि संबंधित फाइल रिकार्ड रूम में है । इस संदर्भ में श्री मुकेश कुमार, रिकार्ड रूम इंचार्ज को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित फाइल को ढूंढने का प्रयास करें तथा श्री बाबू लाल को सौंपे । श्री बाबू लाल, जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित फाइल श्री मुकेश कुमार से प्राप्त कर बिंदु सं 6 से 10 तक के संबंध में अपीलकर्ता को वांछित सूचना यथाशीघ्र प्रदान करें ।

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
25 MAY
Initials

C. I. C. /के० सू० आ०
ISSUED
25 MAY 2016
D. No.
Initials

---2/-

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री वी.के.शर्मा, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.बी. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
3. श्री बाबू लाल, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.ए. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

25/05/16

25/5/16

25/05/16